



ग्रामीण सेवा शिविर-2025 (फॉलोअप)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

उपरोक्त प्रकरण पैफसिस्ट बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 426/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयसंबंधी लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 36/भूअ./2025 दिनांक 29/12/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम सीकरवाली पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में नूंगे खाता संख्या 7, 8 में खातेदार पैफसिस्ट पुत्र अजुनराम का स्थान पर पैफसिस्ट पुत्र अजुनराम का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का महरोली उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



जलका विषय में जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

की जांच निवेदन है कि गांव - महरोली के बालाव आश - छीलावाली

के बालाव में संपा. 7, 8 के खालास पेफसिंह पुं अर्जुनराम लालि-लाल के रिपोर्ट है।
उसी / खालास अर्जुनराम मदी नाम हल के लिए अपने इलाके पर यथा आधार का
लक्ष्य आधार गडु मादि के मदी नाम पेफसिंह पुं अर्जुनराम लालि-लाल
के रिपोर्ट है। अतः उपरोक्त इलाके में आधार एवं लक्ष्य आधार
गौना रिपोर्ट के आधार पर लक्ष्य नाम पेफसिंह पुं अर्जुनराम लालि-
लाल को इलाके छोड़ा जाने कि अनुमति दी जाती है।

23-12-25
ह मुअजि महरोली

घाटा-136

रिपोर्ट / अभिशंषा तहसीलदार / नायब तहसीलदार

ह. हलका पटवारी
23-12-25
रिपोर्ट

LR-36

29-12-25

मुताबिक फस गौना लालगन इलाके में एक रिपोर्ट पटवारी तथा
द्वारा की है अनुसार मुहि छिपा जाने कि अनुमति दी जाती है।

426
30-12-25

23-12-25
तहसीलदार / नायब तहसीलदार / तहसीलदार (मु.अ.)
श्रीमधोपुर (सीकर)

आदेश
(किस दिनक मुख्यालय ग्राम पंचायत

पटवारी हलका महरोली व मु.अ.नि. वृत्त महरोली की जांच
रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के
आधार पर ग्राम छीलावाली के खालास स. 7, 8 में रजि
पेफसिंह पुं अर्जुनराम के स्थान पर पेफसिंह पुं अर्जुनराम
दुरस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

30
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (सीकर)

पालनार्थ:- तहसीलदार / नायब तहसीलदार